भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3326

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता

3326. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता की योजना के भाग एक के अंतर्गत निधि जारी करने की एक शर्त के रूप में सीएसएस योजनाओं के लिए ब्रांडिंग दिशानिर्देशों के साथ केरल के अनुपालन की समीक्षा की है;

(ख) केरल को 1546.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ समेकित परियोजना सूची प्रस्तुत करने पर विचार करते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए योजना के भाग एक के अंतर्गत आवंटित 1059 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी किए जाने में शीघ्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सीएसएस योजनाओं के लिए ब्रांडिंग अनुपालन और संबंधित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में विलंब के कारण निधि संवितरण में व्यवधान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की भविष्य में ऐसे विलंब को रोकने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोई योजना है; और

(ङ) केरल की 1546.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पूंजीगत परियोजनाओं की समेकित सूची की स्थिति क्या है और कैपेक्स योजना के अंतर्गत योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन भविष्य की किस्तों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): से (ङ): जी हां, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एसएएससीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए ब्रांडिंग दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक अंडरटेकिंग/स्वघोषणा प्रस्तुत की है। भारत सरकार ने राज्य द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकता क्रम के अनुसार, राज्य

सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 1546.92 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में से केरल राज्य द्वारा प्रस्तुत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए एसएएससीआई 2024-25 के भाग-I के अंतर्गत केरल को 1059 करोड़ रुपए की विशेष सहायता (ऋण) की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा, राज्य सरकार को स्वीकृत राशि के 66 प्रतिशत (अर्थात 698.94 करोड़ रु.) में से एसएएससीआई 2022-23 और एसएएससीआई 2023-24 की 201.74 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त राशि के उपयोग को घटाने के पश्चात् 497.20 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने स्कीम के अन्य भागों के अंतर्गत 486.70 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को स्वीकृति दी है तथा 335.80 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

****